न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/73/2022

रणजीतसिंह पुत्र नारायनसिंह, गांव बसुआ, पो0 बॉसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर

.......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी,सामान्य अनुभाग,कलक्ट्रेट (ए.डी.एम. शहर) भरतपुर

............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 14.09.2022

अपीलार्थी रणजीतसिंह पुत्र नारायनसिंह, गांव बसुआ, पो0 बॉसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.6.2022 से लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी. एम.शहर) भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/669 दिनांक 2.9.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सामान्य/अपील/2022/7979 दिनांक 12.9.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे कोई सूचना उपलब्ध नहीं

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

कराई है, चाही गई सूचना दिये जाने की प्रार्थना की गई है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सामान्य / अपील / 2022 / 7979 दिनांक 12.9.2022 का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी / प्रार्थी का आर.टी.आई. के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर को अन्तरित कर दिया गया है जिसकी सूचना प्रार्थी / अपीलार्थी को दी गई है। यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर